**मुख्यमंत्री राहत कोष के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।**
**अवधि 01.04.2014 से 31.03.2018 तक**

**भाग–एक**

**1. गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन**

गत लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में पिछले कई वर्षों के पैरे अनिर्णीत पड़े हैं जिससे प्रतीत होता हैं कि विभाग द्वारा इन पैरों के निपटारे हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही हैं। अत: विभागाध्यक्ष से अनुरोध हैं कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र ठोस कार्यवाही किया जाए और अधिक से अधिक अनिर्णीत पैरों का निपटारा सुनिश्चित किया जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट- क** में दिया गया हैं।

**भाग- दो**

**2. वर्तमान लेखा परीक्षा**

मुख्य मंत्री राहत कोष का अवधि 01.04.2014 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण कार्य श्री अनिल शर्मा, सहायक नियंत्रक (ले.प.) द्वारा दिनांक 27.08.2018 से 17.09.2018 तक सचिवालय परिसर शिमला में सम्पन्न किया गया। जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गए हैं। आय की विस्तृत जाँच हेतु मास 12/2014, 05/2015, 06/2016 व 06/2017 और व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 06/2014, 07/2015, 07/2016 व 09/2017 का चयन किया गया।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया हैं। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, संबन्धित संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई त्रुटियों के लिए उतरदायी नहीं होगा अपितु इस विभाग का दायित्व केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासो तक ही सीमित हैं।

**3. लेखा परीक्षा शुल्क**

मुख्य मंत्री राहत कोष, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 01.04.2014 से 31.03.2018 तक का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण शुल्क ₹17000 आँका गया जिसे अंकेक्षण अधियाचना सं.107/2018 दिनांक 15.09.2018 द्वारा रेखांकित चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को शीघ्र भेजने हेतु आग्रह किया गया हैं।

**4. वित्तीय स्थिति**

मुख्य मंत्री राहत कोष हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2018 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- ख** पर दिया गया हैं।

| Chief Minister Relief Fund, Shimla | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Financial Position w.ef 01.04.2014 to 31.03.2018 | | | | | | |
| **Year** | **Opening Balance** | **Income** | **Interest (FDRs + Saving)** | **Total** | **Payment** | **Closing Balance** |
| **2014-15** | **112318599** | **47485092** | **1743813** | **161547504** | **114358686** | **47188818** |
| **2015-16** | **47188818** | **101073339** | **6139981** | **154402138** | **120148137** | **34254001** |
| **2016-17** | **34254001** | **123446199** | **427074** | **158127274** | **128504335** | **29622939** |
| **2017-18** | **29622939** | **131442261.39** | **1454435** | **162519635.39** | **131150243** | **31369392.39** |
| **Detail of Balances** | | | | | | |
| **In Saving Bank A/c 315 (हि.प्र.को.आ.बैंक)** | | | | | | **28357792.39** |
| **In Saving Bank A/c 5028(UCO Bank)** | | | | | | **656407.00** |
| **FDR** | | | | | | **2355193.00** |
| **Total** | | | | | | **31369392.39** |
| **Difference (if any)** | | | | | | **0** |

**5. सावधि निवेश रजिस्टर का न बनाया जाना**

मुख्य मंत्री राहत कोष से ₹**2355193.00** दिनांक 31.03.2018 को सावधि जमा में निवेश की गई थी, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ग"** में दिया गया हैं। अंकेक्षण में सावधि निवेश की पड़ताल करने पर पाया गया कि सावधि निवेश का आवश्यक रजिस्टर नहीं बनाया गया था, जिसके कारण यह जाँच नहीं की जा सकी कि सावधि निवेश कितनी अवधि के लिए और किस दर से निवेशित किए गए थे। अत: सावधि निवेश से संबन्धित आवश्यक रजिस्टर न बनाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए, और भविष्य में सावधि निवेश से संबन्धित रजिस्टर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए, और इस रजिस्टर में सावधि निवेश से संबन्धित सभी तथ्य लेखांकित किए जाए।

**6. जिलाधीशों द्वारा जिला राहत कोष का 50% भाग मुख्यमंत्री राहत कोष खाते में जमा न करवाना।**

मुख्य मंत्री राहत कोष के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सचिव (सामान्य प्रशासन हिमाचल प्रदेश सरकार) के पत्र संख्या 21-2/71-जी.ए.डी. दिनांक 15.09.92 के अनुदेशों के अनुसार जिला राहत कोष में वर्ष में एकत्रित राशि का आधा भाग अर्थात 50% भाग मुख्य मंत्री राहत कोष में जमा करवाना आवश्यक हैं। परंतु विभिन्न जिलाधीशों द्वारा प्रावधान के अनुसार अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही हैं इसके अतिरिक्त सभी संबन्धित जिलाधीशों द्वारा जिला राहत कोष में कुल प्राप्त राशि का विवरण मुख्यमंत्री राहत कोष को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा हैं। इस प्रकार सचिव, सामान्य प्रशासन, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 21-2/71-जी.ए.डी. दिनांक 15.09.92 के प्रावधानों के अनुसार जिला राहत कोष में प्राप्त आय का 50% भाग प्राप्त न करने का मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता हैं। अत: अंकेक्षण की ओर से यह सुझाव दिया जाता हैं कि समस्त जिलाधीशों से जिला राहत कोष में जमा राशि का वर्ष वार ब्यौरा प्राप्त किया जाए और उस प्राप्त राशि का उपरोक्त पत्र अनुसार 50% भाग मुख्यमंत्री राहत कोष

जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

**7. विभिन्न व्यक्तियों को आबंटित राशियों के संबंध में वास्तविक रसीदें एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्राप्त न किया जाना।**

विभिन्न व्यक्तियों को आबंटित राशियों के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से विभिन्न उद्देश्यों/ प्रयोजनों हेतु राशि आबंटित/जारी की गई परंतु जारी की गई राशि के संदर्भ में वास्तविक भुगतान प्राप्ति रसीदें तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे। ऐसे कुछेक प्रकरण अंकेक्षण हेतु चयनित मासों में पाये गए थे का विवरण **परिशिष्ट –"घ"** दिया गया हैं। इन प्रकरणों के अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य प्रकरण जहाँ वास्तविक भुगतान प्राप्ति रसीदें अथवा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए हैं, कि जाँच संस्था द्वारा अपने स्तर पर की जाए और वर्तमान में वास्तविक भुगतान प्राप्ति रसीदें अथवा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाए और उन्हे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**8. रोकड़ बही में प्राप्त ₹5.22 लाख के स्रोत्र के बारे में विवरण दर्ज नहीं किया जाना।**

मुख्यमंत्री राहत कोष की रोकड़ बही का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में ₹522050 की प्राप्ति दर्शाई गई थी परंतु वह राशि कहाँ से और किससे प्राप्त की गई थी इस का विवरण नहीं दिया गया था। चयनित मासों के दौरान प्राप्त एवं रोकड़ बही में लेखांकित ऐसी सभी राशियों का विवरण **परिशिष्ट- ङ** पर दिया गया हैं। इस संबंध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस बारे में आपत्ति दर्ज की गई थी परंतु वर्तमान तक इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई । अत: पुन: प्राप्त उक्त की राशि के स्रोत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए और रोकड़ बही में प्रविष्टि करना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

**9. आबंटित की गई राशि के उपयोग के उपरांत शेष बची राशि के संबंध में आवश्यक अभिलेख को तैयार न किया जाना**

रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं को विभिन्न प्रयोजनों हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि आबंटित की गई थी। परंतु जाँच में पाया गया कि आबंटित राशि के उपयोग के उपरांत शेष राशि के संबंध में कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया था। शेष बची राशि को रोकड़ बही में **"Unspent money received back"** शीर्षक के अंतर्गत रोकड़ बही के प्राप्ति साइड दर्शाया गया था। इन सभी राशियों का विवरण **परिशिष्ट- च** पर दिया गया हैं । वस्तुत: मुख्यमंत्री राहत कोष कार्यालय द्वारा कुल स्वीकृत एवं जारी राशि, उपयोग की गई राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित व शेष प्राप्त योग्य राशि के संबंध में अभिलेख तैयार किया जाना वांछित था जिससे विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा शेष बची राशि जो उनके द्वारा वापिस भिजवाई जा रही हैं/जा चुकी हैं के साथ सत्यापन हेतु मिलान

किया जा सके। इस संबंध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस बारे में आपत्ति दर्ज की गई थी परंतु वर्तमान तक इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई । अत: पुन: उपयोग उपरांत शेष बची राशि के संबंध में आवश्यक अभिलेख शीघ्र तैयार किए जाए एवं अनुपालना से इस विभाग को अतिशीघ्र सूचित किया जाए।

**10. मुख्य राहत कोष से Proforma Invoice के आधार पर ₹0.57 लाख का भुगतान किए जाने बारे।**

चयनित मासों के दौरान किए गए व्ययों से संबन्धित अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि UO No. SS/CM-16(14)/2014-RF(HP SECTT) 53597846-CS Dt. 29.07.2016 द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के अंतर्गत मुख्य मंत्री राहत कोष से ₹56762 का भुगतान Sr. Technical Director & SIO, NIC HP Centre Shimla के माध्यम से **"Web Application for collection of CM Relief Fund"** के लिए RTGS के द्वारा **National Informatics Centre Services Inc. New Delhi** को उनके Proforma Invoice No. PSAHP160041 Dt. 01.07.2016 के आधार पर किया गया था। जबकि नियमानुसार कार्य पूर्ण होने के पश्चात इस कार्य का पूर्ण बिल सम्पूर्ण विवरण सहित संबन्धित संस्था से प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। परंतु कार्य पूर्ण होने के पश्चात संबन्धित संस्था से पूर्ण बिल इत्यादि प्राप्त नहीं किया गया था। अत: संबन्धित संस्था से वर्तमान में पूर्ण बिल प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**11. लघु आपत्ति विवरणिका:-** यह अलग से जारी नहीं की गई हैं।

**12. निष्कर्ष :-**लेखों के रख रखाव में सुधार की अति आवश्यकता हैं, विशेष रूप से रोकड़ बही के रख रखाव में। इसके साथ ही गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(14) 28/76 खण्ड–5–8149 दिनांक 7.12.18 शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 उप सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002 को इस आश्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881